न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिप्रा जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–52/2020

निर्णय दिनांक :–06.10.2021

उनवानी दावा :

1. प्रेमलाल मीणा पुत्र श्री जुवारा मीणा जाति मीणा उम्र 36 वर्ष निवासी विजयगढ (बंथली) तहसील दूनी जिला–टोंक
2. भंवरलाल पुत्र श्री जुवारा मीणा जाति मीणा उम्र 47 वर्ष निवासी विजयगढ (बंथली) तहसील दूनी जिला–टोंक
3. रामकरण पुत्र श्री जुवारा मीणा जाति मीणा उम्र 52 वर्ष निवासी विजयगढ (बंथली) तहसील दूनी जिला–टोंक
4. प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति मीणा जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी विजयगढ (बंथली) तहसील दूनी जिला–टोंक
5. बजरंगा पुत्र शिवकरण जाति मीणा उम्र 38 वर्ष निवासी विजयगढ (बंथली) तहसील दूनी जिला–टोंक

– प्रार्थी –

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण –

–उपस्थिति –

श्री प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण
व प्रार्थीगण

तहसीलदार दूनी
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज धारा 136, लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश प्रशासन गांवो के संघ कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय बंथली, तहसील दूनी में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 78 ख0नं0 17 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 18 रकबा 1.51 है0, ख0नं0 32 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 37 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 39 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 41 रकबा 0.15 है0, ख. नं. 42 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 142 रकबा 0.66 है0 ख0नं0 145 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 146 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 165 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 166 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 167 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 169 रकबा 0.13 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 5.28 है0 एवं आराजी खाता संख्या 82 ख0नं0 38 रकबा 0.06

है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 है0 एवं खाता संख्या 110 ख0नं0 19 रकबा 0.29 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.29 है0 वाके तनग्राम बालापुरा पटवार हल्का बंथली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित संयुक्त भूमि में अपने पूर्वजों के समय से काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात के हाल राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश प्रार्थी नं0 1 का नाम प्रेमलाल के स्थान पर गिर्राज पुत्र जुवारा दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी नं0 1 के अन्य दस्तावेजात शैक्षणिक दस्तावेज, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी नं0 1 का नाम प्रेमलाल पुत्र जुवारा मीणा दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी नं0 1 का नाम गलत दर्ज कर दिये जाने के कारण प्रार्थी नं0 1 कई सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहा है तथा प्रार्थी नं0 1 को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी नं0 1 का नाम गिर्राज पुत्र जुवारा के स्थान पर प्रेमलाल पुत्र जुवारा दर्ज करवाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को अस्वीकार करते हुए बताया कि प्रार्थीगण प्रेमलाल के स्थान पर गिर्राज दर्ज किया जाना बताया गया है जिसके समर्थन में शैक्षणिक दस्तवेज, राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं सरपंच के प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की गई जो स्वीकार योग्य नही है। राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

पत्रावली के पक्षकार कैम्प में उपस्थित हुए। प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर मजमेआम में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया। इस बाबत सरपंच ग्राम पंचायत बंथली व अन्य आम ग्राम के नागरिको ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जायज बताते हुए प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना की। सरपंच ग्राम पंचायत बंथली व पटवार हल्का बालापुरा व अन्य प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जायज बताते हुए ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रार्थी का जमाबन्दी में अंकित नाम गिर्राज को विलोपित कर, सही नाम प्रेमलाल दुरूस्त करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। मजमेआम कैम्प प्रशासन गांवो के संघ में प्रार्थीगण की प्रार्थना व अन्य जनप्रतिनिधी द्वारा दी गई सहमति पर मनन

किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम बालापुरा के खाता संख्या 110, 78, 82, व खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्रांम बालापरा सम्वत 2071–74 में प्रार्थी का नाम गिर्राज पुत्र जुवारा अंकित है जबकि ग्राम पंचायत बन्थली के प्रमाण पत्र दिनांक 21.08.16 के अनुसार प्रेमलाल का नाम जमाबन्दी के रिकॉर्ड में गिर्राज हो गया है। प्रार्थी अपना नाम गिर्राज के स्थान पर प्रेमलाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी प्रेमलाल ने शपथपत्र की छायाप्रति पेश की है। रामकरण, भंवरलाल,पुत्र रामकुंरी बेवा जुवारा जाति मीणा निवासी विजयगढ ने सहमति पत्र की छायाप्रति पेश की है। आधार कार्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 1998 में प्रार्थी का नाम प्रेम लाल मीणा अंकित है। मजमेआम में उपस्थित अन्य ग्रामीण लोगो, जनप्रतिनिधीयों ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत सहमति प्रकट की। प्रार्थी के साथ अन्य सहखातेदारो तथा पटवार हल्का ने प्रार्थी के नाम की शुद्धि बाबत कोई आपति प्रकट नही की बल्कि सहमति दी। उक्त दस्तावेज, साक्ष्य व कैम्प, प्रशासन गांवो के संघ में उपस्थित मजमेआम के कथनो से प्रतीत होता है कि प्रार्थी को ग्राम में गिर्राज नाम से बोलने के कारण गिर्राज अंकित राजस्व रिकॉर्ड हो गया है जिसको न्यायालय के विनम्र मतानुसार शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त दस्तावेजो के आधार पर तहसीलदार दूनी को जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम बालापुरा के खाता संख्या 110, 78, 82, में प्रार्थी का नाम गिर्राज पुत्र जुवारा के बजाय प्रेमलाल पुत्र जुवारा दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड करने की स्वीकृत दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली